न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प तिलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 155/17

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 श्रीमति सुगुन कंवर बैवा स्व.वीरसिंह		राजस्थान राज्य जरिये
2 श्रीमती सरोज कंवर पुत्री स्व. वीरसिंह		भूमिधारक तहसीलदार
3 दिलीपसिंह पुत्र स्व. वीरसिंह		पचपदरा
4 किशनसिंह पुत्र स्व. वीरसिंह		
5 पदमसिंह पुत्र स्व. वीरसिंह		

जातियान राजपूत निवासियान
हाल प्लॉट नं. 330 मोहन नगर
बी जे एस कॉलोनी जोधपुर

दावा बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती

निर्णय

दिनांकः 14.06.2018

उपस्थित

वादीगण व प्रतिवादी

वादीनी के वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। कि वादीगण सभी हिन्दू है। तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादीगण के पिता स्व. वीरसिह पुत्र श्री गोविन्दसिंह के स्वामित्व सूदा मालिकाना हक हकूक एवं खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा तिलवाड़ा मे खसरा संख्या 489/326 रकबा 40 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जिस पर वादीगण सं. 2 व 5 के पिता वीरसिह के जीवनकाल मे उनके साथ साथ वादीगण का भी कब्जा हक हकूक विद्यमान रहा है। तथा वीरसिंह के देहान्त दिनांक 21.12.2011 को होने के बाद उक्त आराजी पर एक मात्र कब्जा काश्त हक हकूक वादीगण का ही विद्यमान है।

वादीगण के पिता स्व. वीरसिह का देहान्त दिनांक 21.12.2011 को हुआ वादीनी सं. 1 के पति व वादी सं. 2 व 5 के पिता स्व. वीरसिंह का देहान्त होने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के तहत दी गई कानूनी व्यवस्था के अनुसार, यानि अभिधारियो का उत्तराधिकार– "कोई अभिधारी का निर्वसियत मृत्यु हो जाये तो उसकी जोत मे उसका हित उस स्वीय विधि के अनुसार जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्ययधीन था न्यायगत होगा" यानि धारा 40 द्वारा अभिधारी की स्वीयविधि को अभिधारियों के उतराधिकार के मामलो मे लागू किया गया है। और यह अभिनिर्धारित किया गया है। कि हिन्दु अभिधारियो के लिये हिन्दू विधि जो हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम 1956 द्वारा लागू होगी तथा इस धारा के तहत विधवा के अधिकार व पारिवारिक समझौते को भी मान्यता दी गई है। तथा उत्तराधिकारी के मामले मे नामान्तरकरण की व्यवस्था इस प्रकार दी गई है। कि जब कोई अभिधारी बिना कोई वसीयत किये उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारीयो के नाम भू अभिलेख मे लिखे जायेगे और उसकी जोत मे (यानि मृतक की जोत मे)उस का हित उसके उत्तराधिकारीयो को स्वीय विधि अनुसार मिलेगा। वादीगण द्वारा हल्का पटवारी तिलवाड़ा के समक्ष वादग्रस्त आराजी मे अपना नाम जरिये फौतगारी नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु तत्कालीन समय आवेदन पत्र पेश किया तथा वादीगण ने अपने अपने विधिक पहचान दस्तावेज भी आवेदन पत्र के संलग्न पेश किये तथा दिनांक 25.5.2016 को वादीगण ने फिर श्रीमान तहसीलदार पचपदरा को लिखीत मे इस आश्य का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश करते हुए निवेदन किया तथा श्रीमान तहसीलदार साहब पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी तिलवाड़ा को आदेशित किया गया कि वे वादग्रस्त आराजी मे वादीगण का नाम दर्ज करे किन्तु हल्का पटवारी द्वारा वादीगण का नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) पद बालोतरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा कैम्प.. तिलवाड़ा

Scanned by CamScanner

नही किया गया व टालम टोली कर नामान्तरकरण नही भरा गया वादग्रस्त आरजी मे उत्पन्न खातेदारी हक हकूक किसी प्रकार से विलोपित नही होते है। यानि एक काश्तकार अभिधारी समय अन्तराल के अनुसार यदि व्यवसाय हेतु एक स्थान से दुसरे स्थान पर रहने लग जाता है। या व्यवसाय करने लग जाता है। तो उसके नाम से स्थित खातेदारी भूमि मे उसके खातेदारी हक हकूक किसी प्रकार से समाप्त नही हो सकते है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। हल्का पटवारी तिलवाड़ा व तहसीलदार पचपदरा को कानून का ज्ञान होने के बावजूद भी उन्होने वादीगण का नाम वादग्रस्त आराजी मे दर्ज नही किया जो विधि व तथ्यो की भारी भूल की है।

सरहद मौजा तिलवाड़ा के खसरा नम्बर 489/326 रकबा 40 बीघा के खातेदारी अधिकारी वादीगण के नाम की घोषित की जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाकर आवश्यक सुधार की प्रविष्टि राजस्व रेकर्ड मे अंकित की जावे।

वादीगण के निवेदन पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार पचपदरा की और से सरकारी पेरोफार दिनांक 24.10.17 को पेश हुवे व जवाब हेतु समय चाहा प्रतिवादी को जवाब हेतु दिनांक 28.11.17, 18.1.18, 20.2.18, 10.4.18, व 24.4.18 व 14.6.18 को अवसर दिये गये समुचित अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नही किये जाने पर प्रतिवादी के जवाब की स्टेज बंद की गई। तथा वादीगण ने वाद के समर्थन मे वादी दिलीपसिंह व ग्वाह चैन सिह व शोभसिह को पेश किया जिसके ब्यान कलम्बंद्ध किये गये। वादी व गवाहान ने वाद पत्र का समर्थन किया व वादीगण को वीरसिंह के उत्तराधिकारी होना स्वीकार किया। वादी के कथन पर साक्ष्य बंद की गई प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया।

हमने प्रस्तुत वाद पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का अवलोकन कर गहनता से मनन किया। ग्राम तिलवाड़ा के खसरा नम्बर 489/326 रकबा 40 बीघा स्व. वीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत साकिन तेमावास खातेदार है। सलग्न प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2068–2071 ग्राम तिलवाड़ा खाता संख्या 413 मे खातेदार है। वीरसिंह का देहान्त दिनांक 21.12.2011 को होने के बाद उनके वारिसान के नाम फौतेदगी नामान्तरणकरण नही भरा गया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के तहत दी गई कानूनी व्यवस्था के अनुसार यानि अभिधारियो का उत्तराधिकार कोई अभिधारी की निर्वसियत मृत्यु हो जाये तो उसकी जोत मे उसका हित उस स्वीय विधि के अनुसार जिसके बाद अपनी मृत्यु के समय अध्ययधीन था न्यायगत होगा यानि धारा 40 द्वारा अभिधारी की स्वीय विधि को अभिधारियो के उत्तराधिकार के मामलो मे लागू किया गया इस धारा के तहत विधवा के अधिकार व पारिवारिक समझौतो को मान्यता दी गई । एक काश्तकार अभिधारी समय अन्तराल के अनुसार यदि व्यवसाय हेतु एक स्थान से दुसरे स्थान पर रहने लग जाता हैं। या व्यवसाय करने लग जाता है। तो उसके नाम से स्थित खातेदारी भूमि मे उसके खातेदारी हक हकूक किसी प्रकार से समाप्त नही हो सकते है यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। वादग्रस्त आराजी मे उत्पन्न खातेदारी हक हकूक किसी प्रकार से विलोपित नही किये जा सकते ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वाद न्याय संगत होने से स्वीकार किया जाकर मौजा तिलवाड़ा के खसरा नम्बर 489/326 रकबा 40 बीघा के वादीगण सं. 1 ता 5 को खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकर्ड मे इसी प्रकार अमलदारामद किया जावे। डिगरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.6.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प तिलवाड़ा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प–2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प तिलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...

Scanned by CamScanner